

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



# उत्तर प्रदेश शासन

## उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला  
सकल  
आवेदन क्र०  
प्रमाणपत्र क्र०

सम्बन्धी  
सकल  
16660030059733  
661163018626

जारी दिनांक: 17/08/2016

प्रमाणित किया जाता है कि  
पुत्र/पुत्री  
माता का नाम  
निवासी  
ग्राम  
तहसील  
जिला

कु. मोहन अशरफ  
श्री अनीस महमद  
श्रीमती अब्दुलनिहा  
नागेपुर  
नागेपुर  
सकल  
सम्बन्धी



उत्तर प्रदेश शासन की गठित आयोग द्वारा प्रमाणित है। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1996 के अनुसूचित वर्गों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. मोहन अशरफ पूर्वोक्त अधिनियम 1996 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक 20 अक्टूबर 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम 1996 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



SUKRAMA PRASAD  
VISHWAKARMA  
Digitally signed by SUKRAMA PRASAD VISHWAKARMA, DN: cn=SUKRAMA PRASAD VISHWAKARMA, o=District Collector

जारी कर्ता केन्द्र:  
पद:  
स्थान:  
दिनांक:  
हस्ताक्षर एवं मूहर

सकल अधिकारी/तहसीलदार  
डिजिटल हस्ताक्षरित  
सकलडीहा,सम्बन्धी  
दिनांक: 17/08/2016

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिस्टम से उत्पन्न है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://districtportal.in> पर उपलब्ध नहीं करेगा। यह प्रमाणपत्र क्र० जारी कर,संस्थापित किया जा सकता है।